प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.08.23

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 52 पालतू कबूतर व 02 बन्डल तार बरामद ।

दिनांक 25.8.23 को वादी सतेन्द्र कसाना पुत्र बदले राम निवासी भोपुरा थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना टीला मोड़ पर उसके नव निर्मित मकान पर वैगनआर कार न0 DL1RTA3402 सवार व्यक्तियों द्वारा काँपर तार 50 बंडल व दो एमसीसीबी व एक आटोमेटिक चार्जर एक अन्य छोटा मोटा सामान व 77 पालतू कबूतर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे शिकायत दर्ज करायी गयी थी | उक्त सम्बन्ध मे थाना टीला मोड़ पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण हेतु टीम गठित की गयी |

दिनांक 26.8.23 को मैन्युअल इन्पुट एवं मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **1.मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी म0न0 240 गली न0 06 नीयर पीर बाबा थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र 29 वर्ष 2. आसिफ उर्फ यामीन पुत्र मोमीन निवासी 891 ज्वाला नगर इन्द्रापार्क थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र 30 वर्ष 3.अंकुर शर्मा पुत्र शिशुपाल निवासी जी – 1/1036 मान सिह की बैठक थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली स्थायी पता एच 39 कास्तवाडा थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 36 वर्ष** को भौपुरा पैट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया है | जिनके कब्जे से 52 पालतू कबूतर व 02 बन्डल तार बरामद हुआ है | अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी म0न0 240 गली न0 06 नीयर पीर बाबा थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र 29 वर्ष
2. आसिफ उर्फ यामीन पुत्र मोमीन निवासी 891 ज्वाला नगर इन्द्रापार्क थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र 30 वर्ष
3. अंकुर शर्मा पुत्र शिशुपाल निवासी जी – 1/1036 मान सिह की बैठक थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली स्थायी पता एच 39 कास्तवाडा थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1. 52 पालतू कबूतर
2. 02 बन्डल तार
3. 01 ई-रिक्शा घटना में प्रयुक्त
4.

अपराधिक इतिहास-

अभि0 यामीन के विरूद्ध दिल्ली मे विभिन्न थानो मे 20 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस

थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार

दिनांक 25.08.2023 को थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त आकाश पुत्र राजकुमार निवासी म0नं0 290 चरन सिंह कालोनी प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पर वाहन चोरी का अभियोग पंजीकृत है | आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मैने यह स्कूटी मौहल्ला भीमनगर से करीब 05 माह पहले चोरी की थी, जिसे मैं नम्बर प्लेट बदलकर चला रहा था जिसकी आर0सी0 व अन्य कागजात मेरे पास नही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

आकाश पुत्र राजकुमार निवासी म0नं0 290 चरन सिंह कालोनी प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. चोरी की स्कूटी (सम्बन्धित E-FIR नं0 0103/23 थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गा0बाद)

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त आकाश उपरोक्त के विरूद्ध थाना विजयनगर गा0बाद पर 03 अभियोग लूट, धोखाधडी व आबकारी अधि0 से सम्बन्धित व थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित पंजीकृत है

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में वांछित एक सह अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 17.08.2023 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री राजकुमार पुत्र नकली सिंह निवासी अम्बेडकर नगर अर्थला की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त आयुष व उसके साथियों द्वारा वादी के पुत्र की हत्या करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 18.08.2023 को अभियुक्त आयुष शर्मा पुत्र हरिश्चन्द्र शर्मा निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र बिजेन्द्र निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर तीन टीमें गठित की गई थी। आज दिनांक 26.08.2023 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को राधा कृष्ण मन्दिर मोहनगर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही एवं पूछताछ का विवरण

अभियुक्त राजकुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम नेक थाना जानी जनपद मेरठ ने पूछताछ पर बताया कि मेरे परिवार वाले अर्थला में किराये पर रहते है और मेरे परिवार वालों ने मुझे करीब 15 वर्ष पहले घर से निकाल दिया था। जब से मैं सेल्टर होम राधा कृष्ण मन्दिर में रहता हूँ और भण्डारें में मन्दिर में रहकर ही खाना पीना करता हूँ और वही पर सो जाता हूँ। मेरी और आयुष की पहचान मन्दिर के सामने एक जूस वाले की दुकान पर हुई थी। मैं दिनांक 17.08.2023 को समय करीब 03 बजे सेल्टर होम राधा कृष्ण मन्दिर में ही था तभी मुझे आयुष शर्मा ने अपने घर बुलाया तो आयुष अपने घर के गेट पर ही खड़ा था आयुष मुझे अन्दर ले गया तो मैने वहाँ देखा कि जमीन पर कमरे में एक व्यक्ति मृत

अवस्था में पड़ा था जिसके सिर से बहुत खून बह रहा था। आयुष ने मुझे बताया कि इससे मेरा पैसे के लेन देन को लेकर झगडा हो गया था। इस बॉडी को यहां से हटाने में मेरी मदद कर दो, दोस्ती के कारण मैं तैयार हो गया और घर से बाहर आकर मै बोरा लेने गया और दो बोरे लेकर वापस आया । आयुष ने मृतक को एक बोरे मे डाला उसके बाद दूसरे बोरे में डालने में मैने आयुष की मदद की और स्कूटी पर उस बोरे में बन्द बॉडी को रखवाया था। बाद में हम दोनों ने मिलकर घर मे पड़े खून के धब्बों को साफ किया और उसके बाद मैं वहाँ से मन्दिर पर आ गया और आयुष बॉडी स्कूटी पर लेकर चला गया था और हिन्डन नदी के पास डालकर वापस मेरे पास आया और मुझे बताया कि मैं उसे हिन्डन के पास खाली ग्राउन्ड में छोडकर भाग आया हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

राजकुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी संजय कालौनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल पता ग्राम नेक थाना जानी जनपद मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण—</u>

अभियुक्त की निशादेही पर मृतक दीक्षित के एक जोडी जूते

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

साहिबाबाद पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा रंगदारी मांगने के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद ।

दिनांक 26.08.2023 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत रंगदारी मांगने के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त विपिन नागर उर्फ विक्की पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल नागर निवासी सी-10 इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस, एक कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विपिन नागर उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 20.08.2023 को सुबह मैंने व मेरे दोस्त 1. सन्नी बैंसला पुत्र विनोद निवासी गढ़ी कटैया थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, 2.संजू बंसल पुत्र प्रताप निवासी 25 फुटा रोड सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद भूमिका गैस एजेंसी से मेरे साथ गए थे। मैने रवि गिरी को फोन करके गैस एजेंसी के बाहर गैस सिलेण्डर के पैसे देने के बहाने से बाहर बुलाया उसके बाहर आने पर मैने उसे गाडी में बैठने को कहा तो उसके गाडी में बैठते ही मैने रवि गिरी को तमंचा दिखाया व मेरे दोस्तों और मैने हर महीने पचास हजार रुपये देने को कहा तो उसने देने से मना किया तो उसे गाडी से बाहर उतार कर मैने रवि गिरी को मारा। यह सब मैने उसे डराकर पैसे लेने के लिए किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता</u>

विपिन नागर उर्फ विक्की पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल नागर निवासी सी-10 इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण</u>

घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, एक जिन्दा कारतूस व एक कार बरामद

<u>आपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर हत्या के 02 अभियोग, हत्या के प्रयास के 02 अभियोग, रंगदारी मांगने का 01 अभियोग, आयुध अधि0 का 01 अभियोग व गैंगस्टर अधि0 का 01 अभियोग, थाना लोनी बॉर्डर पर हत्या के प्रयास का 01 अभियोग तथा दहेज अधि0 का 01 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर रंगदारी मांगने का 01 अभियोग कुल 10 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम